**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.**

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या : 423/2019**

**GCMS NO. : 2019/00191**

**–: वादी :–** **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. सियाराम पुत्र प्रतापराम
जाति–रेगर निवासी– रेगरों का
बास जसनगर तहसील रियाबडी
जिला नागौर।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–ब्यावर।

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू:.03/10/2019**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, श्री डावरराम चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनाँकः– 31/01/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा गांगलिया, पटवार हल्का लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला–ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 35 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 36 रकबा 12 बीघा 00 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी की पुश्तैनी कब्जा सुदा, हक सुदा है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिताजी प्रताप वल्द मंगला जी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। प्रताप जी का देहान्त होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 44 के उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम सियाराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में शिवा दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया। नकल नामान्तरकरण संख्या 44 की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि वादी सियाराम वल्द प्रतापराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की है, परन्तु इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम शिवा वल्द प्रताप दर्ज है। लेकिन वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में वादी का नाम सियाराम वल्द प्रतापराम दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शिवा वल्द प्रताप के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधायें ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुकशान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण व उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 20.09.2019 को इस प्रकार की दुरुस्ती करने से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम सियाराम वल्द प्रतापराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम शिवा वल्द प्रताप के स्थान पर दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। इसलिए धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.09.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम की दुरुस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला–ब्यावर में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम गांगलिया, पटवार हल्का लाम्बिया के अनुसार खसरा नम्बर 35 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम शिवा पुत्र प्रताप खातेदार के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 34, 73, 73/1 कुल रकबा 11.6549 हैक्टर भूमि में वादी का नाम शियाराम पुत्र प्रताप दर्ज है। ग्राम गांगलिया के विरासत नामान्तरकरण संख्या 44 के जरिये वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का नाम शिवा पुत्र प्रताप दर्ज हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में वादी का नाम सीयाराम पुत्र प्रताप राम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खसरा नम्बर 73, 73/1 व 34 की खातेदारी भूमि में वादी का नाम सीयाराम पुत्र प्रतापराम दर्ज होने से खसरा नम्बर 35 व 36 में शिवा पुत्र प्रताप की जगह सीयाराम पुत्र प्रतापराम दर्ज किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी एवं तहसीलदार, जैतारण पर गौर कर मनन किया। ग्राम गांगलिया की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 (प्रदर्श–1,2) के खसरा नम्बर 35 रकबा 14–13 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 36 रकबा 12–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

'शिवा पुत्र प्रताप' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–3) में अंकित नामान्तरकरण के नोट से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में ना.सं. 44 के द्वारा तत्कालीन खातेदार परताप पुत्र मंगला के फौत होने पर शिव पुत्र प्रताप का नाम दर्ज हुआ।

2. वादी सियाराम पुत्र प्रतापराम ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि "उक्त भूमि वादी के पिता प्रताप वल्द मंगला की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। प्रताप जी के देहान्त पर जरिये नामांतरकरण संख्या 44 के उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। तत्कालीन पटवारी हल्का ने वादी का सही नाम सियाराम की बजाय रेकर्ड में शिवा दर्ज कर लिया। वादी का सही एवं वास्तविक नाम सियाराम पुत्र प्रतापराम है।" अन्य शहादत में गवाह भिरमाराम पुत्र पेमाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह भिरमाराम ने अपने शपथ–पत्र में यह सशपथ कथन किये कि "शपथकर्ता वादी को भंलिभांति जानता हुँ तथा उक्त भूमि वादी के पिता प्रताप वल्द मंगला की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। प्रताप जी के देहान्त पर जरिये नामांतरकरण उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त नामांतरकरण में वादी का नाम शिवा दर्ज कर लिया। वादी का सही एवं वास्तविक नाम सियाराम पुत्र प्रतापराम है।"

3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–4ए (राशन कार्ड), प्रदर्श–5ए (भामाशाह कार्ड), प्रदर्श–6ए (निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–7ए (आधार कार्ड) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम सियाराम पुत्र प्रतापराम है।

4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम गांगलिया, पटवार हल्का लाम्बिया के अनुसार खसरा नम्बर 35 व खसरा नम्बर 36 की भूमि में वादी का नाम शिवा पुत्र प्रताप खातेदार के रूप में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 34, 73, 73/1 कुल रकबा 11.6549 हैक्टर भूमि में वादी का नाम शियाराम पुत्र प्रताप दर्ज है। ग्राम गांगलिया के विरासत नामान्तरकरण संख्या 44 के जरिये वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का नाम शिवा पुत्र प्रताप दर्ज हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता फॉटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी वादी का नाम सीयाराम पुत्र प्रताप राम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खसरा नम्बर 73, 73/1 व 34 की खातेदारी भूमि में वादी का नाम सीयाराम पुत्र प्रतापराम दर्ज होने से खसरा नम्बर 35 व 36 में शिवा पुत्र प्रताप की जगह सीयाराम पुत्र प्रतापराम दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं गवाह भिरमाराम पुत्र पेमाराम का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 35

(कमल सुन्दर त्रिवेदी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

रकबा 2.3715 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 36 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम गांगलिया के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **शिवा पुत्र प्रताप** के स्थान पर वादी का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम **सियाराम पुत्र प्रतापराम** है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'शिवा पुत्र प्रताप'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'सियाराम पुत्र प्रतापराम'** किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

**-:: *आदेश* ::-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गांगलिया, पटवार हल्का लाम्बिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 35 रकबा 2.3715 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 36 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ** वादी का नाम ***शिवा पुत्र प्रताप*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'सियाराम पुत्र प्रतापराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। **अन्य प्रविष्टियां** यथावत रहेगी। **इसी** मुताबिक डिक्री पर्चा **पृथक** से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
**बईजलास** :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :–

1. सियाराम पुत्र प्रतापराम
जाति–रेगर निवासी– रेगरों का बास
जसनगर तहसील रियाबडी जिला
नागौर।

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0– 423/2019

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, श्री डावरराम चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गांगलिया, पटवार हल्का लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 35 रकबा 2.3715 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 36 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादी का नाम **शिवा पुत्र प्रताप** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'सियाराम पुत्र प्रतापराम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

**मोहर**

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 4.00 | | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | | स्टाम्प अर्जी | 0.00 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 4.00 | | महनताना वकील | 0.00 | |
| महनताना वकील | 0.00 | | खर्चा गवाहान | 0.00 | |
| खर्चा गवाहान | 2.00 | | फीस कमीश्नर | 0.00 | |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | | मुत्फरिक | 0.00 | |
| मिजानः– | 11.00 | | मिजानः– | 0.00 | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।